राष्ट्रपति का निर्वाचन-

भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से नहीं, वरन् अप्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मण्डल के सदस्य हैं : ① संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा ② राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में राज्यों की विधान सभाओं को भी इस लिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केन्द्रीय शासन वरन् सम्पूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है।

संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेषभत पद्धति के द्वारा होगा। जिसे 'एकल संक्रमणीय मत पद्धति' कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्तमतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए 'न्यूनतम कोटा' प्राप्त करना आवश्यक होगा।

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिए गये मतो की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या} + 1} + 1$$

न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इस लिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति को पद प्राप्त हो सके।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक विशेष बात यह है कि निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का समान मूल्य नहीं होता। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्न दो सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित किया जाता है।

1- किसी भी राज्य की विधानसभाओं के मतों की संख्या

$$= \frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \div 1000$$

2- संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुलयोग

$$= \frac{}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

Scanned by TapScanner

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य- (अनु 95)-

1- व्यवस्था संबंधी शक्तियां-

(क) कार्यवाही संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था व मर्यादा बनाए रखना।
(ख) सदन की कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण करना।
(ग) संविधान और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना।
(घ) विवादास्पद विषयों पर मतदान कराना और निर्णय की घोषणा करना।
(ङ) पक्ष-विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देना।
(च) प्रस्ताव, प्रतिवेदन और व्यवस्था के प्रश्नों को स्वीकार करना।
(छ) गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करना।

2- निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्तियां-

(क) संसदीय समितियों की अध्यक्षता करना तथा निर्देश देना।
(ख) सदन में बोलने के लिए सदन के सदस्यों को अनुमति देना।
(ग) सदन में पेश किए गये विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करना तथा जिसके ऊपर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी करना।

3- प्रशासन संबंधी शक्तियां-

(क) लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण रखना।
(ख) संसदीय कार्यवाही के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।

Scanned by TapScanner

द्वितीय सदन की उपयोगिता

1- लोकतंत्र की सुरक्षा (प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक)
2- लोकसभा की विवेकहीन शीघ्रता व उत्साह पर नियंत्रण
3- विधि निर्माण में सहायक
4- योग्यता का भण्डार
5- संघात्मक शासन में आवश्यक (राज्यों का प्रतिनिधित्व)
6- लोकसभा भंग होने पर राज्य सभा कार्यवाही करती है।
7- जनमत को प्रभावित करने की शक्ति
8- राज्य सभा के पास कुछ विशेषाधिकार, 249, 312

मूल कर्तव्य -

1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनु० 51A में मूलकर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नांकित हैं-

1- संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान।
2- राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन।
3- भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा।
4- देश की रक्षा और राष्ट्रसेवा।
5- भारत के लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का विकास।
6- समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा।
7- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव।
8- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास।
9- सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना।
10- व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास।

Scanned by TapScanner

नीति निर्देशक तत्व का महत्व -

1- निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति।
2- नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व
3- शासन के मूल्यांकन का आधार
4- सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन
5- संविधान की व्याख्या में सहायक
6- कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकें

Scanned by TapScanner